न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी : श्री मनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
248/2017 प्रार्थनापत्र	15.06.2017	06.07.2017

उनवान

1–3 रामकिशन,प्रहलाद,रामधन पिता माधु जाट नि0 कोठियॉ तहसील फूलियाकलां
4– प्रेमदेवी पत्नि सत्यनारायण ब्राम्हण निवासी कोठियॉ तहसील फूलियाकलां

प्रार्थीगण

बनाम

1–3 हीरा,पन्ना,बालू पिता छोगा जाट निवासी कोठियॉ तहसील फूलियाकलां
4– विक्रमसिंह पिता सुजानसिंह राजपूत निवासी कोठियॉ तहसील फूलियाकलां
5– सत्यनारायण पिता अम्बा तेली निवासी कोठियॉ तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित : श्रीमती मदीना बानू – अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कोठियॉ पटवार हल्का कोठियॉ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 492 आ0न0 2356 रकबा 0.27 है0, व खाता संख्या 786 आ0न0 2409 रकबा 0.48 है0 आराजी कुल किता 02 रकबा 0.75 है0 स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की आराजी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान – न्याय आपके द्वार – 2017 अटल सेवा केन्द्र कोठियॉ पर रखा जाकर पक्षकारान को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी दिनांक 06.07.2017 को उपस्थित नही होने से उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम कोठियॉ पटवार मण्डल कोठियॉ संवत 2072 से 75 के खाता संख्या 492 आ0न0 2356 रकबा 0.27 है0, व खाता संख्या 786 आ0न0 2409 रकबा 0.48 है0 आराजी कुल किता 02 रकबा 0.75 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठियॉ पटवार मण्डल कोठियॉ की जमाबन्दी संवत 2072 से 75 के खाता संख्या 492 आ0न0 2356 रकबा 0.27 है0, व खाता संख्या 786 आ0न0 2409 रकबा 0.48 है0 आराजी कुल किता 02 रकबा 0.75 है0 प्रार्थीगण के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 300/– रूपये (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.07.2017 को केम्प कोठियॉ पर सुनाया गया।

(मनमोहन व्यास)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉ,जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर